an>

Title: Situation arising due to the recent order of Hon'ble Supreme Court for conducting Common Admission Test for MBBS and P.G. Courses.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त लोक महत्व के तात्कालिक और सुनिश्चित प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी है।

पिछले दिनों वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार ने एक प्रस्ताव किया था कि सम्पूर्ण देश के मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एक कॉमन टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उस समय की एपेक्स कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। पुनः एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश के चाहे वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हों, एमबीबीएस और बीडीएस के एग्जामिनिशेंस एक कॉमन टेस्ट से होंगे, जिसको सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। इसके संबंध में जो कल फैसला हुआ है, उसका एक शेडयूल तय हुआ है कि जो फर्स्ट नेशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वह पहली मई को होगा। उसमें साढ़े 6 लाख छात्र एडमिट हो रहे हैं। जिन लोगों ने वह फार्म नहीं भरा था, उन्हें यह मौका दिया जा रहा है कि तीन महीने के बाद 24 जुलाई को फिर दूसरा टेस्ट होगा, उसमें ढाई लाख लोग होंगे।

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है कि एक ही कॉमन टेस्ट के लिए एमबीबीएस, बीडीएस के लिए, वे बच्चे जिनका कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और उनको अगर कल ही टेस्ट में बैठना होगा, तो वे मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, शायद वे बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। दूसरा उन छात्रों को तीन महीने का मौका मिलेगा, तो क्यों न ये दोनों टेस्ट एक साथ कराए जाते और उसमें छात्रों को तैयारी का तीन महीने का मौका मिल जाता। इसका रिजल्ट 17 अगस्त को आना है और पूरे देश में एमबीबीएस का एडमिशन 30 सितम्बर तक हो जाना है। इससे मल्टिपल एग्जाम से बच जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा है कि जो पहली मई का टेस्ट है, जो दो टेस्ट हैं, नेशनल इलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट वन एंड टू, इन दोनों को कंबाइंड करके एक साथ 24 जुलाई को हो जाए, जिससे कि 17 अगस्त के रिजल्ट में आ जाए। इससे सभी बच्चों को एक साथ तैयारी का मौका मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री गोपाल शेट्टी,

श्री सुधीर गुप्ता और

श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव जी। आपने भी इसी विÂषय पर दिया है।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विÂषय पर बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उससे महाराष्ट्र के 80 प्रतिशत स्टूडेंट्स को इसका इफेक्ट होने वाला है। अभी तक 12वीं की परीक्षा के ऊपर ही सभी एग्जाम होते थे। अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा के ऊपर यह एग्जाम होने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन दिया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड था कि इसे वÂर्ष 2018 के बाद लागू कीजिए। हमें दो साल का वक्त दीजिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए मौका मिल सके। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट यह है कि अगर इसे वÂर्ष 2018 कराने के लिए केन्द्र सरकार न्यू पीटिशन देगी तो कुछ न कुछ मदद होगी। अगर यह बात नहीं हो सकती है तो कम से कम तीन महीने का समय, यानी 24 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है, उस 24 जुलाई की परीक्षा में सभी को अपीयर होने का मौका मिले, ताकि बच्चों का एक साल बच जाये। अदरवाइज, 80 प्रतिशत बच्चे हैं, जो गांव से आते हैं, उसका उनको कोई फायदा नहीं होगा और सिर्फ शहरी बच्चों को उसका फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों पर यह अन्याय है, केन्द्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से मुव करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष :

श्री शंकर प्रसाद दत्ता और

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्री राजीव सातव द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक महत्वपूर्ण विÂषय पर शून्य काल में बोलने के लिए आपने मौका दिया है।

कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिन छात्रों को मेडीकल के क्षेत्र में जाना है या जिनको डेंटल के क्षेत्र में जाना है, राज्यों में जो सी.ई.ए.टी.की परीक्षा की जगह एन.ई.ए.टी. की परीक्षा होगी। राज्य ने पांच मई को एक परीक्षा घोÂिषत की है। जब से मैं सांसद बना हूं तब से एक मुद्दा के बारे में बार-बार कहते आया हूं कि जो बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, खासकर, प्राइमरी और सेकेण्ड्री में हमारे पास एसएससी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है और सीबीईएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड इन दोनों से ऊंचा है और दोनों के सिलेबस में भी अंतर है। सिलेबस अलग होने की वजह से बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में दिक्कतें आती हैं। राज्यों में सी.ई.ए.टी. हो रही थी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अलग से सी.ई.ए.टी. हो रही थी, यह आने के बाद समय कम हो गया। इसके लिए 24 जुलाई का भी समय हो तो वे इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई का स्टैंडर्ड अलग है। उसमें दो चीजें हो रही हैं। पहले वे यह परीक्षा अपनी मातृभाÂषा में भी दे सकते थे, मराठी, गुजराती, मलयाली, तेलगु, तमिल बंगाली, इन सारी भाषाओं में उनको परीक्षा देने की सहुलियत थी, वह सहुलियत भी अब नहीं मिलेगी। सीबीएसई कह रही है कि समय कम है तो परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी में ही लेंगे। सारे राज्यों में इसका प्रखर विरोध हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्ट्री से निवेदन करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जायें, यह आपका निर्णय है, हम उसकी सराहना करते हैं लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसे वÂर्ष

2018 से लागू करें, ताकि अभी छात्र टेंशन में हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, छात्र बहुत डिप्रेशन में हैं, उनको दिलासा देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री विनायक भाऊराव राऊत,

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली,

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे,

श्री राहुल शेवाले और

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।